BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH AT NEW DELHI

MISC. APPLICATION No.86 of 2024
IN
ORIGINAL APPLICATION NO. 304 OF 2024

IN THE MATTER OF:

OM PAL SINGH .... **APPLICANT**

VERSUS

RAM BABU GUPTA & ANR. ....**RESPONDENTS**

INDEX

SL. NO.	PARTICULARS	PAGES
1.	Reply on behalf of Respondent U.P. Pollution Control Board.	1 – 5
2.	**ANNEXURE-1** Copy of the letter	6 – 8
	ANNEXURE-2 Committee Report dated 23.05.2024	9 – 12
4.	**ANNEXURE-3** Show cause notice dated 19.06.2024	13 – 14
5.	**ANNEXURE-4**. Copy of the Affidavit	15 – 19
6.	**ANNEXURE-5** Copy of the letter dated 30.07.2024	20 – 21
7.	**ANNEXURE-6** Copy of the Closure order dated07.11.2024	22
8.	**ANNEXURE-7**	23 – 28

	True copy of Affidavit dated 10.12.2024.	
9	**Annexure-8** Inspection Report dated 12.12.2024	29 – 30

NEW DELHI
DATED: 14.12.2024

(PRADEEP MISRA & DALEEP DHYANI)
Counsel for U.P. Pollution Control Board,
138, New Lawyers Chamber,
Supreme Court of India,
New Delhi-110001
(M.) 9810252518
Email: pradeepmisra@yahoo.com

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

M. A. No. 86 of 2024
In Re:
Original Application No. 304 of 2024

IN THE MATTER OF:

Om Pal Singh **.... Applicant**

Versus

Ram Babu Gupta **.... Respondents**

RESPONSE AFFIDAVIT ON BEHALF OF THE UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE TO THE ORDER DATED 19.03.2024 AND 04.09.2024 PASSED BY THIS HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI.

I, Dr. Madhavi Kamalvanshi W/o Shri Arvind Kumar, aged about 53 years, presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter UPPCB), Banda do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

2. That present matter is about Ram Babu Gupta and Munna Gupta, sons of Rameshwar Gupta, resident of Balkhandeshwar, District-Mahoba, who are running Daal Mill and Peanut Mill.

3. That vide its order dated 19.03.2024, this Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi (hereinafter Hon'ble Tribunal) has disposed of the Original Application No. 304/2024 by constituting

a Joint Committee comprising of UPPCB and District Magistrate, Mahoba with direction to visit the site, collect relevant factual information and if it finds any violation of environmental laws or norms, would take appropriate remedial, preventive and punitive action against the erring persons in accordance with law and submit a factual report with Registrar General of Tribunal within three months by appointing the District Magistrate, Mahoba as nodal authority for compliance.

4. That it is most respectfully stated that inadvertently and on account of unavoidable circumstances the factual report has not been submitted before this Hon'ble Tribunal within stipulated period of time as directed vide order dated 19.03.2024, therefore this Hon'ble Tribunal vide its order dated 04.09.2024 has passed the following direction:

"...4. Issue notice to the respondents for filing their response/reply by way of affidavit at least one week before the next date of hearing through e-filing. If any respondent directly files the reply without routing it through his advocate then the said respondent will remain virtually present to assist the Tribunal. Applicant is directed to serve the respondents and file the affidavit of service at least one week before the next hearing date..."

NOTARY Govt. of U.P. (INDIA)

5. That in compliance to the order dated 04.09.2024 passed by this Hon'ble Tribunal as quoted above the response of the UPPCB is given below:

i. That in compliance to the order dated 19.03.2024 passed by this Hon'ble Tribunal, District Magistrate, Mahoba has constituted a Joint Committee by nominating the Additional District Magistrate (Finance/Revenue), Mahoba and the officials of the

UPPCB as members on 09.05.2024. A copy of the letter is being attached herewith as **Annexure No.1**.

ii. That in pursuance to the above order, contained as Annexure No.1, and in compliance to the direction as passed by this Hon'ble Tribunal vide its order dated 19.03.2024, Joint Committee has carried out inspection of the site in question on 23.05.2024. The Joint Committee report dated 23.05.2024 is being attached herewith as **Annexure No.2**.

iii. That further in pursuance to the observation made in the Joint Committee report the Regional Office, UPPCB, Banda vide letter dated 01.06.2024 has recommended for issuing of Show Cause notice against the project proponent, i.e. M/s Vaishno Enterprises, Gata No.-1555, Beeja Nagar Road, Subhash Nagar, Mahoba.

Furthermore UPPCB vide Letter No.-H12672/C-2/NGT-70/24 dated 19.06.2024 has issued a Show Cause notice against the project proponent in question. A true copy of Show Cause notice dated 19.06.2024 is being attached herewith as **Annexure No.3**.

NOTARY ★ Govt. of U.P. (INDIA)

iv. That in reply to the aforesaid Show Cause notice dated 19.06.2024, an affidavit has been submitted by Shri Ram Babu Gupta owner of the M/s Vaishno Enterprises before the District Magistrate, Mahoba and UPPCB stating that the certificate regarding land use will be submitted within one month and that they have already applied for No Objection Certificate from Ground Water Authority. In the affidavit dated 05.07.2024, Shri Ram Babu Gupta owner of the M/s Vaishno Enterprises has also informed that units operation is lying suspended and will

continue to remain suspended till further orders. A copy of an affidavit is being attached herewith as **Annexure No. 4.**

v. That thereafter since no documents were provided by the unit's owner even after one month, Regional Office, UPPCB, Mahoba vide its letter dated 30.07.2024 has confirmed the Show Cause notice dated 19.06.2024 and recommended for issuance of Closure Order against the unit. A true copy of letter dated 30.07.2024 is being attached herewith as **Annexure No.5**.

vi. That in pursuance to the above, a Closure Order has been issued by the UPPCB, Lucknow vide Letter No. H19501/C-2/N.G.T.-70/24 dated 07.11.2024 under Section 31A of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981, as amended against the unit, which has also been served upon M/s Vaishno Enterprises, Gata No.-1555, Beeja Nagar Road, Subhash Nagar, Mahoba on 14.11.2024. The copy of Closure Order dated 07.11.2024 is being attached herewith as **Annexure No.6**.

vii. That in compliance of Closure Order of UPPCB dated 07.11.2024, Proprietor Ram Babu Gupta has submitted an affidavit dated 10.12.2024 that he has closed the industry M/s Vaishno Enterprises, Gata No.-1555, Beeja Nagar Road, Subhash Nagar, Mahoba and he will ensure compliance of Closure directions till further orders of UPPCB and Hon'ble NGT. The copy of affidavit dated 10.12.2024 is being attached herewith as **Annexure No.7**.

NOTARY Govt. of U.P. (INDIA)

viii. That in compliance of closure order and affidavit dated 10.12.2024 submitted by the industry, officials of Regional office UPPCB, Banda inspected the industry on 11.12.2024. At the time of inspection, industry was found closed. Copy of the

inspection report dated 12.12.2024 along with the photographs taken at the time of inspection is being attached herewith as **Annexure No.8**.

6. That the deponent most humbly states that the present litigation is not an adversarial litigation and the answering respondent will not leave any stone unturned to get the order of this Hon'ble Tribunal complied in its true letter and spirit as regard to the directions passed by this Hon'ble Tribunal.
7. That the Annexure annexed to the present accompanying Affidavit are true copy of their respective original.
8. That the present affidavit on behalf of the Uttar Pradesh Pollution Control Board is being submitted before this Hon'ble Tribunal for kind perusal and consideration.

DEPONENT

VERIFICATION:

Verified at Banda on this the 12th day of December, 2024 that the contents of above affidavit are true and correct to my knowledge based on records and information received and believed to be true, no part of it is false and nothing material has been concealed there from.

DEPONENT

NOTARY Bhisham Singh Advocate Govt. of U.P. (INDIA)

6235/149

SWORN BEFORE ME
BHISHAM SINGH NOTARY
12-12-2024

Know M. Kamal Vanshi who signed before me
Advocate, Banda

Annexure-1

(2)

सन्दर्भ सं.
Ref. No.

टिप्पणी एवं आदेश
NOTE SHEET

जिलाधिकारी महोदय

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या–304/2024 ओम पाल सिंह बनाम राम बाबू गुप्ता व अन्य में पारित आदेश दिनांक–19.03.2024 निम्नवत् है:–

..........1. This Original Application (hereinafter referred to as **'OA'**) under Section 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as **'NGT Act, 2010'**) has been registered by exercising *suo-motu* jurisdiction based on a letter petition dated nil sent by Om Pal Singh son of Ram Pal Singh resident of Subhash Nagar, Mahoba District, Uttar Pradesh and signed by some other persons stating that Ram Babu Gupta and Munna Gupta, sons of Rameshwar Gupta, resident of Balkhandeshwar are running Daal Mill and Peanut Mill, causing pollution. On account of functioning of above mills, air is getting polluted causing health hazards to the residents and even people residing in nearby area facing difficulty in breathing and respiration. Pollution is continuing for last one year and despite complaint made to concerned authorities, no action has been taken.

2. In our view, the complaint can be looked into at the first instance by concerned authorities at the local level for which we constitute a Joint Committee comprising State Pollution Control Board and District Magistrate, Mahoba.

3. District Magistrate, Mahoba shall be the nodal agency for coordination and compliance.

4. The said Committee shall visit the site, collect relevant factual information and, if it finds any violation of environmental laws or norms, would take appropriate remedial, preventive and punitive action against the erring persons in accordance with law and submit a factual report with Registrar General of Tribunal within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed for consideration before the Bench.

5. With the above directions, OA is disposed of.

6. A copy of this order be forwarded to State Pollution Control Board and District Magistrate, Mahoba by e-mail for compliance.

उक्त के अनुपालन में बोर्ड मुख्यालय द्वारा अपने पत्र संख्या–एच08829/सी–2/एन0जी0टी0–613/24 दिनांक– 01.04.2024 द्वारा श्रीमती माधवी कमलवंशी, क्षेत्रीय अधिकारी (प्रभारी), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बाँदा को समिति का सदस्य के रूप में नामित किया गया है। **(पताका–क)** महोदय से अनुरोध है कि जिला प्रशासन की ओर से सदस्य को नामित करने की कृपा करें, जिसके की मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश का अनुपालन कर रिपोर्ट दाखिल की जा सकें।

06/05/24

(डॉ0 माधवी कमलवंशी)
क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाँदा

Amm for नामित

09/05/2024

Clo 21-3-24

Item No. 04 Court No. 2

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

Original Application No. 304/2024

Om Pal Singh Applicant

Versus

Ram Babu Gupta Respondent(s)

Date of hearing: 19.03.2024

CORAM: **HON'BLE MR. JUSTICE SUDHIR AGARWAL, JUDICIAL MEMBER**
HON'BLE DR. A. SENTHIL VEL, EXPERT MEMBER

Applicant: Mr. Om Pal Singh, Applicant in Person (Through VC)

ORDER

1. This Original Application (hereinafter referred to as **'OA'**) under Section 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as **'NGT Act, 2010'**) has been registered by exercising *suo-motu* jurisdiction based on a letter petition dated nil sent by Om Pal Singh son of Ram Pal Singh resident of Subhash Nagar, Mahoba District, Uttar Pradesh and signed by some other persons stating that Ram Babu Gupta and Munna Gupta, sons of Rameshwar Gupta, resident of Balkhandeshwar are running Daal Mill and Peanut Mill, causing pollution. On account of functioning of above mills, air is getting polluted causing health hazards to the residents and even people residing in nearby area facing difficulty in breathing and respiration. Pollution is continuing for last one year and despite complaint made to concerned authorities, no action has been taken.

2. In our view, the complaint can be looked into at the first instance by concerned authorities at the local level for which we constitute a Joint

Committee comprising State Pollution Control Board and District Magistrate, Mahoba.

3. District Magistrate, Mahoba shall be the nodal agency for coordination and compliance.

4. The said Committee shall visit the site, collect relevant factual information and, if it finds any violation of environmental laws or norms, would take appropriate remedial, preventive and punitive action against the erring persons in accordance with law and submit a factual report with Registrar General of Tribunal within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed for consideration before the Bench.

5. With the above directions, OA is disposed of.

6. A copy of this order be forwarded to State Pollution Control Board and District Magistrate, Mahoba by e-mail for compliance.

Sudhir Agarwal, JM

Dr. A. Senthil Vel, EM

March 19, 2024
Original Application No. 304/2024
DV

माननीय एन0जी0टी0 में दाखिल ओ0ए0 नं0– 304/2024, ओम पाल सिंह बनाम राम बाबू गुप्ता में पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 के परिप्रेक्ष्य में मैसर्स वैष्णों इण्टरप्राइजेज, गाटा नं0–1555, बीजा नगर रोड़, सुभाष नगर, महोबा (जियो कोआर्डिनेट 25.2901012, 79.8958363) की आख्या।

माननीय एन0जी0टी0 में दाखिल ओ0ए0 नं0– 304/2024, ओम पाल सिंह बनाम राम बाबू गुप्ता में पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 के अंश निम्नवत् है:–

–––"1. This Original Application (hereinafter referred to as 'OA') under Section 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as 'NGT Act, 2010') has been registered by exercising suomotu jurisdiction based on a letter petition dated nil sent by Om Pal Singh son of Ram Pal Singh resident of Subhash Nagar, Mahoba District, Uttar Pradesh and signed by some other persons stating that Ram Babu Gupta and Munna Gupta, sons of Rameshwar Gupta, resident of Balkhandeshwar are running Daal Mill and Peanut Mill, causing pollution. On account of functioning of above mills, air is getting polluted causing health hazards to the residents and even people residing in nearby area facing difficulty in breathing and respiration. Pollution is continuing for last one year and despite complaint made to concerned authorities, no action has been taken.

2. In our view, the complaint can be looked into at the first instance by concerned authorities at the local level for which we constitute a Joint 2 Committee comprising State Pollution Control Board and District Magistrate, Mahoba.

3. District Magistrate, Mahoba shall be the nodal agency for coordination and compliance.

4. The said Committee shall visit the site, collect relevant factual information and, if it finds any violation of environmental laws or norms, would take appropriate remedial, preventive and punitive action against the erring persons in accordance with law and submit a factual report with Registrar General of Tribunal within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed for consideration before the Bench."––

उक्त पारित आदेश के अनुक्रम में सन्दर्भित उद्योग का निरीक्षण अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), महोबा के साथ कार्यालय द्वारा दिनांक 23.05.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री रामबाबू गुप्ता एवं शिकायतकर्ता श्री ओमपाल सिंह उपस्थित रहे। शिकायतकर्ता द्वारा की गयी शिकायत का विवरण निम्नवत् है –

" प्रार्थी मु0 सुभाषनगर बीजानगर रोड, महोबा का निवासी है। प्रार्थी के मकान के तीनों तरफ राम बाबु गुप्ता, मुन्ना गुप्ता पुत्रगण रामेश्वर गुप्ता निवासी बलखण्डेश्वर मन्दिर के बगल में महोबा द्वारा अवैधानिक तरीके से दालमिल लगवायी गयी है। जिससे दिन तथा रात में जहरीला पाउडर उड़ता है, जिससे दमा व अस्थमा जैसी गम्भर बीमारी हो गयी है तथा प्रार्थी के पिता ह्रदय रोग से पीडित है तथा पेस मेकर डला हुआ है तथा प्रार्थी के छोटे–छोटे बच्चे है तथा प्रार्थी के घर में जहरीला पाउडर आता है जिससे छोटे बच्चो को अस्थमा व दमा जैसी बीमारी हो रही है तथा सांस लेने में दिक्कत हो रही है जबकि मा0 सर्वोच्च न्यायालय का आदेश भी है कि शहर से 10 किमी0 की दूरी पर मील लगायी जाये परन्तु उपरोक्त लोग बीच बस्ती में मील लगाये हुए है तथा बगल में रॉयल इण्टरनेशनल विद्यालय भी है। जहॉ पर सैकडो बच्चे विद्यालय आते है उनको भी समस्याएं पैदा हो रही है। प्रार्थी से इस सम्बन्ध में कई बार प्रार्थना पत्र भी दिये है परन्तु उक्त लोग दबंग व प्रभावशाली होनें के कारण व मोटी रकम देकर कार्यवाही नही होने देते।

अतः श्रीमान् जी से प्रार्थना है कि उक्त प्रकरण की जांच कराकर कानूनी कार्यवाही की जाये एवं उपरोक्त मीलो को दूसरी जगह लगवाया जाये। "

कृ0प0उ0.........

उद्योग मैसर्स वैष्णों इण्टरप्राइजेज, गाटा नं0–1555, बीजा नगर रोड़, सुभाष नगर, महोबा संचालन में है, परन्तु निरीक्षण के समय मशीनरी प्लांट का संचालन बंद पाया गया। उद्योग की अद्यतन स्थिति एवं अन्य विवरण निम्नवत् है :–

1. सन्दर्भित उद्योग के पूरब दिशा में लगभग 10 फीट के कच्चे रास्ते के उपरांत शिकायतकर्ता (ओमपाल सिंह) का निवास स्थान है, पश्चिम दिशा में रॉयल इण्टरनेशनल विद्यालय स्थापित है उत्तर दिशा में बीजानगर रोड पश्चात् सुभाषनगर के आवासीय मकान एवं दक्षिण दिशा में रिक्त भूमि है।

2. उक्त उद्योग एक पीनट, ग्रेन एवं दाल उत्पादक इकाई है, जिसकी पीनट, ग्रेन की क्षमता–140 कुन्तल/दिन तथा दाल की क्षमता–400 कुन्तल/दिन की है। उद्योग में कच्चे माल के रूप में मूंगफली, मटर एवं चना का प्रयोग किया जाता है।

3. दाल के उत्पादन हेतु चना/मटर को टैंक, एलीवेटर, रोटरी स्क्रीन (छन्ना), रोल (छिलाई), चक्की, छन्ना, सार्टेक्स की सहायता से दाल का उत्पादन किया जाता है, जिसके साथ सह उत्पाद के रूप में चूनी एवं छिलका का भी उत्पादन होता है।

4. मूंगफली उत्पादन हेतु सर्वप्रथम कच्ची मूंगफली को हापर, राउण्ड चलने, डीस्टोनर, टैंक, बाक्स, छन्ना, सार्टेक्स मशीनों की सहायता से मूंगफली का उत्पादन किया जाता है, साथ ही सह उत्पाद के रूप में छिलका का उत्पादन होता है।

5. उद्योग को उद्यम रजिस्ट्रेशन, फायर लाइसेंस, जी.एस.टी. सर्टिफिकेट, कृषि उत्पादन मण्डी समिति, महोबा से प्रपत्र–20 घ प्राप्त है।

6. उद्योग में जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं ह्यूमिडाइजेशन हेतु किया जाता है तथा घरेलू उत्प्रवाह का निस्तारण सेप्टिक टैंक/सोकपिट के माध्यम से निस्तारित किया जाता है। ह्यूमिडाइजेशन प्रकिया से किसी भी प्रकार का उत्प्रवाह निस्तारित नही पाया गया।

7. उक्त उद्योग हरी श्रेणी के अन्तर्गत आच्छादित है एवं शेड में स्थापित/संचालित है। उद्योग को राज्य बोर्ड द्वारा स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नही है।

8. **अपर जिलाधिकारी(वि0/रा0) महोदय, महोबा द्वारा निरीक्षण के समय शिकायतकर्ता को वाइब्रेशन की शिकायत पर तकनीकि संस्थान/विशेषज्ञ संस्था/मान्यता प्राप्त थर्डपार्टी द्वारा जॉच किये जाने हेतु दिशा निर्देश दिये गये।**

9. उद्योग में 125 के0वी0ए0 के 02 नग डी0जी0 सेट एकास्टिक इनक्लोजर युक्त स्थापित है, जिस पर बोर्ड मानको के अनुरूप चिमनी स्थापित नही पायी गयी।

10. उद्योग द्वारा दिये गये शपथ पत्र दिनांक 27.04.2023 के अनुसार 2019 से संचालित है। उद्योग को इस कार्यालय के पत्रांक 182676/यूपीपीसीबी/बॉदा(यूपीपीसीबीआरओ)/सीटीओ/बोथ/महोबा/2023 दिनांक 29.04.2023 द्वारा सशर्त सहमति जल/वायु प्राप्त है।

11. उद्योग द्वारा प्रेषित नोटरी शपथपत्र संख्या–जी.बी.900314 दिनांक 27.04.2023 के बिन्दु संख्या–17 पर स्पष्ट अंकित किया गया है कि इकाई के समीप आबादी/स्कूल एवं प्रदूषण के सम्बन्ध में इकाई के विरूद्ध जनहित में शिकायत प्राप्त होने एवं सही पाये जाने की दशा में समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा इकाई के विरूद्ध की गयी कार्यवाही शपथकर्ता को मान्य होगी तथा इकाई को वर्तमान स्तर से अन्यत्र उपयुक्त स्थल पर नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।

कृ0प0उ0..........

12. सन्दर्भित उद्योग के विरूद्ध दायर मूल्य वाद संख्या–40/2022 श्रीमती राजनश्री बनाम रामबाबू गुप्ता को दिनांक 20.05.2023 को न्यायालय सीविल जज सीनियर डिवीजन, महोबा द्वारा खारिज किया गया है।

13. उद्योग के विरूद्ध शिकायतकर्ता श्री ओमपाल सिंह के पत्र दिनांक 14.12.2023 द्वारा इस कार्यालय में शिकायत की गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण एवं निर्गत सहमति जल/वायु में वर्णित प्राविधानों की शर्तो के अनुपालन हेतु इस कार्यालय द्वारा पत्र संख्या– 889/वैष्णों इण्टरप्राइजेज, महोबा/2023 दिनांक 26.12.2023 प्रेषित किया गया था परन्तु उद्योग द्वारा अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है।

14. उद्योग के विरूद्ध पुनः आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या–20016924000879 के माध्यम् से उक्त उद्योग के विरूद्ध श्री ओमपाल सिंह द्वारा शिकायत की गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में उद्योग को पुनः इस कार्यालय के पत्रांक संख्या–1110/सा0–7/आई0जी0आर0एस0/2024 दिनांक 02.03.2024 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका उत्तर उद्योग द्वारा प्रेषित नहीं किया गया था।

15. माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित याचिका ओ0ए0 नं0–304/2024 ओमपाल सिंह बनाम रामबाबू गुप्ता में पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 के परिप्रेक्ष्य में बोर्ड मुख्यालय द्वारा पत्र संख्या एच 08829/सी–2/एनजीटी–613/24 दिनांक 01.04.2024 प्रेषित किया गया था, तत्पश्चात उद्योग द्वारा इस कार्यालय में दिनांक 19.04.2024 को शपथपत्र दिनांक 18.04.2024 (जीएक्स 005447) में उद्योग द्वारा नियमों का अनुपालन किये जाने हेतु शपथपत्र प्रेषित किया गया है **(संलग्नक–1)** एवं उद्योग के निकटतम निवास करने वाले अन्य स्थलीय निवासियों द्वारा अनापत्ति हेतु शपथपत्र भी प्रेषित किये गये है। **(संलग्नक–2)** उद्योग द्वारा अनुमन्य भू–प्रयोग प्रमाण पत्र एवं भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र शर्तों के अनुपालन हेतु आज दिनांक तक इस कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया तथा राज्य बोर्ड द्वारा जारी निर्गत सहमति जल/वायु का बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित नही किया गया है।

16. निरीक्षण के समय उद्योग परिसर के चारों ओर वृक्षारोपण नही पाया गया। शिकायतकर्ता के आवासीय परिसर में लगे पेड़–पौधे व मकान तथा उद्योग की दीवारों पर डस्ट विद्यमान पायी गयी। जिससे परिलक्षित होता है कि उद्योग संचालन के समय उत्सर्जित डस्ट से आस–पास के लोगो को समस्या होना स्वाभाविक है।

17. उद्योग परिसर में व शिकायतकर्ता के उत्तर दिशा में बीजानगर रोड स्थित है। उद्योग परिसर में धूल के नियंत्रण हेतु मूंगफली प्लांट परिसर में वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना की गयी है जो कि उद्योग परिसर से निकलने वाले वाहनों के आवागमन से उडने वाली धूल के नियंत्रण हेतु पर्याप्त नही है।

18. क्षेत्रीय कार्यालय के पत्र सं0–889/वैष्णों इन्टप्राइजेज, महोबा दिनांक 26.12.2023 को पत्र भी प्रेषित किया गया था, जिसमें बिन्दु संख्या–1, 5, 6 पर स्पष्ट अंकित है कि

- Land use certificate issued by competent authority must be submitted in this office within three months.
- If Complaint is received against the Unit regarding and air pollution, adverse impact on habitation, Unit site after verification if complaint is found true the CTO will be revoked without any prior notice.
- As per given commitment in the affidavit dated 27.04.2023, Unit will be shifted to other appropriate place after obtaining the prior permission of the concerned office without any claim. The commitment given in the affidavit dated 27.04.2023 must be complied.

कृ0प0उ0..........

अतः उद्योग द्वारा सहमति जल/वायु की शर्तो का अनुपालन न किये जाने के दृष्टिगत रखते हुये उद्योग के विरूद्ध कारण बताओ नोटिस निर्गत किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके समक्ष अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(राज करन वर्मा) वैज्ञानिक सहायक	(सुशील कुमार) अवर अभियन्ता	(रामदास) वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी /अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), महोबा

01/06/24

1/6/24

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं0 / Ref. No H12672/टी-2/NGT-70/24 दिनांक / Date 19-6-24

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स वैष्णों इण्टरप्राइजेज,
गाटा नं0–1555, बीजा नगर रोड़, सुभाष नगर,
जनपद–महोबा।

यह कि उद्योग **मै0 वैष्णों इण्टरप्राइजेज, गाटा नं0–1555, बीजा नगर रोड़, सुभाष नगर, महोबा** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में मूंगफली, मटर एवं चना का प्रयोग कर पीनट ग्रेन क्षमता–140 कुन्तल/दिन तथा दाल क्षमता–400 कुन्तल/दिन के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा 2(K) के अन्तर्गत एक औद्योगिक संयंत्र है।

यह कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में दाखिल ओ0ए0 नं0–304/2024, ओम पाल सिंह बनाम राम बाबू गुप्ता में पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति की निरीक्षण आख्या दिनांक 23.05.2024 (छायाप्रति संलग्न) क्षेत्रीय अधिकारी बाँदा के पत्र दिनांक 01.06.2024 के साथ प्राप्त हुई है। उक्त आख्यानुसार उद्योग को राज्य बोर्ड द्वारा स्थापना हेतु अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त नही है। उद्योग में 125 के0वी0ए0 के 02 नग डी0जी0 सेट एकास्टिक इनक्लोजर युक्त स्थापित है, जिस पर बोर्ड मानकों के अनुरूप चिमनी स्थापित नहीं पायी गयी। उद्योग के विरूद्ध शिकायतकर्ता श्री ओमपाल सिंह के पत्र दिनांक 14.12.2023 द्वारा राज्य बोर्ड में शिकायत की गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में उद्योग को प्रदूषण नियंत्रण एवं निर्गत सहमति जल/वायु में वर्णित प्राविधानों की शर्तो के अनुपालन हेतु राज्य बोर्ड के पत्र संख्या–889/वैष्णों इण्टरप्राइजेज, महोबा/2023 दिनांक 26.12.2023 प्रेषित किया गया था परन्तु उद्योग द्वारा अनुपालन आख्या प्रेषित नहीं की गयी है। उद्योग के विरूद्ध पुनः आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भ संख्या–20016924000879 के माध्यम से उक्त उद्योग के विरूद्ध श्री ओमपाल सिंह द्वारा शिकायत की गयी थी, जिसके परिप्रेक्ष्य में उद्योग को पुनः राज्य बोर्ड के पत्रांक संख्या–1110/सा0–7/आई0जी0आर0एस0/2024 दिनांक 02.03.2024 द्वारा पत्र प्रेषित किया गया था, जिसका उत्तर उद्योग द्वारा प्रेषित नहीं किया गया है। निरीक्षण के समय उद्योग परिसर के चारों ओर वृक्षारोपण नही पाया गया। शिकायतकर्ता के आवासीय परिसर में लगे पेड़–पौधे व मकान तथा उद्योग की दीवारों पर डस्ट विद्यमान पायी गयी। जिससे परिलक्षित होता है कि उद्योग संचालन के समय उत्सर्जित डस्ट से आस–पास के लोगो को समस्या होना स्वाभाविक है। उद्योग परिसर में धूल के नियंत्रण हेतु मूंगफली प्लांट परिसर में वाटर स्प्रिंकलर सिस्टम की स्थापना की गयी है जो कि उद्योग परिसर से निकलने वाले वाहनों के आवागमन से उडने वाली धूल के नियंत्रण हेतु पर्याप्त नही है। उद्योग द्वारा अनुमन्य भू–प्रयोग प्रमाण पत्र एवं भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र शर्तो की अनुपालन संबंधी आख्या राज्य बोर्ड को प्रेषित नहीं किया गया तथा राज्य बोर्ड द्वारा जारी निर्गत सहमति जल/वायु का बिन्दुवार अनुपालन आख्या प्रेषित नही किया गया है। इस प्रकार उद्योग द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) के आज्ञापक प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, बाँदा के पत्र दिनांक 01.06.2024 द्वारा उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 31–ए के अन्तर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (यथासंशोधित) की धारा 21(4) सपठित धारा–31ए के अन्तर्गत निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न उद्योग **मै0 वैष्णों इण्टरप्राइजेज, गाटा नं0–1555, बीजा नगर रोड़, सुभाष नगर, महोबा** को राज्य बोर्ड द्वारा जारी सहमति आदेश जल एवं वायु को रिवोक कर लिया जाए।
2. यह कि क्यों न उद्योग **मै0 वैष्णों इण्टरप्राइजेज, गाटा नं0–1555, बीजा नगर रोड़, सुभाष नगर, महोबा** की संचालन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया जाए।
3. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों को निर्देशित कर दिया जाए कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण 15 दिन के अंदर बोर्ड में प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें अन्यथा उपरोक्त निर्देशों की पुष्टि कर दी जाएगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं आपका होगा।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निर्गत।

संलग्नकः यथोपरि

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–2)

....2...

टी.सी. - 12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
फैक्स : 0522-2720764, 2720676
ई–मेल : info@uppcb.in
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
Fax : 0522-2720764, 2720676
E-mail : info@uppcb.in
Website : www.uppcb.com

प्रतिलिपिः– **निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।**

1. जिलाधिकारी, महोबा।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में उद्योग का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, (वृत्त–2)

Annexure-4

~~TIN No.~~09534300810
Valid Dt. 15-6-02

Subject to MAHOBA Jurisdiction

Mob. 9415417266
Utpadak Licence Number-406

प्राप्त (हस्ताक्षर) 05/07/24

मे० वैष्णो इण्टर प्राइजेज

दुकान नं० B16, नवीन मण्डी स्थल, महोबा

मील गोदाम-बीजानगर रोड, सुभाषनगर, महोबा

पत्रांक :   दिनांक : 5/7/2024

सेवा में

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी

उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड बांदा

विषय: दिनांक 19.06.2024 के पत्रांक संख्या एच12672 / सी2 / एन.जी.टी.70 / 24 के सम्बंध में प्रार्थना पत्र

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मै रामबाबू गुप्ता वैष्णों इण्टरप्राइजेज बीजानगर रोड़ सुभाष नगर महोबा का मालिक हूँ। क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड द्वारा दिनांक 19.06.2024 के पत्रांक संख्या एच12672 / सी2 / एन.जी.टी.70 / 24 के सम्बन्ध में नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें उद्योग परिसर में कुछ कार्य कराने हेतु निर्देश प्राप्त हुये हैं जिनका अनुपालन मेरे द्वारा किया जा रहा है एवं भविष्य में प्राप्त निर्देशों का पालन निष्ठा पूर्वक किया जायेगा।

संलग्नक:

1. शपथ पत्र

प्रार्थी

रामबाबू गुप्ता (हस्ताक्षर)

रामबाबू गुप्ता

पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता

पताः नथापुरा नैकाना, महोबा उ०प्र०

JE
for action
(हस्ताक्षर)
05/7

M/s Vaishno Interprises
(हस्ताक्षर)
Proprietor

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

GX 018940

S.N. CHANSOURIA NOTARY MAHOBA U.P. GOVT. NOTARIAL

शपथ–पत्र

समक्ष

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी
उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बांदा

शपथपत्र मिनजानिब रामबाबू गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता नि0 नयापुरा नैकाना तह0 व जिला महोबा उ0प्र0 शपथ पूर्वक निम्न बयान करता हूँ–

1. यह कि मैं शपथकर्ता वैष्णों इण्टरप्राइजेज बीजानगर रोड़ सुभाष नगर महोबा का मालिक हूँ।
2. यह कि क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड द्वारा दिनांक 19.06.2024 के पत्रांक सख्या एच12672 / सी2 / एन.जी.टी.70 / 24 के सम्बंध में विवरण।
3. यह कि मेरे द्वारा उद्योग परिसर मूगफली प्लांट में डस्ट नियंत्रण हेतु और अधिक स्प्रिंकलर स्थापित कर लिये गये है।
4. यह कि उद्योग द्वारा अनुमन्य भू प्रयोग प्रमाण पत्र 1 माह अन्दर प्राप्त होने पर आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
5. यह कि भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर दिया गया है।
6. यह कि आपके द्वारा प्राप्त सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है एवं भविष्य में प्राप्त निर्देशो का पालन निष्ठा पूर्वक किया जायेगा।
7. यह कि उद्योग का संचालन वर्तमान में स्थगित है। एवं अग्रिम आदेश तक स्थगित रहेगा।
8. यह कि शपथ पत्र की धारा 1 लगायत 7 मेरी जानकारी में सत्य व सही है।

दिनांक :– 05/07/2024

05/07/24

नोटरी–महोबा
यू0 पी0 सरकार
पंजीकरण नं0–52(10)2009

रामबाबू गु

ह0 शपथकर्ता

क्रमांक 8.76 रुपया 100 नाम स्टाम्प
श्री वैभव इन्टर प्राइजेज नाम
निवासी तहसील जिला महोबा
R.S.
स्टाम्प विक्रेता
दि. 4/7/24 श्रीमती रिंकी
तहसील जिला-महोबा

कार्यालय वरि...
5 JUN ...
महोबा (कोड-0071)

रामबाबू

05/07/24

S.N.CHANSOURIA NOTARY-MAHOBA
शिवनारायण चंसौरिया
अधिवक्ता-नोटरी
क्षेत्र-तहसील-महोबा
प.सं.-52(10)2009
U.P.GOVT.

Affidavit/Document Sworn/put up before me ... S/o,W/o. ... R/o. ... Mahoba Tah.------------ Distt.--------
The contents of affidavitd/document havebeen read over and explained to him/them which ... them he/ they is/are identified by ...
The prescribed Fee is Charged.

05/07/24

S.N.CHANSOURIA
Advocate/Notary
Mahoba
R.N.-52(10)2009

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

₹100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

GX 018941

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

NOTARIAL

NOTARIAL

शपथ--पत्र

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय

जिला महोबा उ0प्र0

शपथपत्र निम्नांकित रामबाबू गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता नि0 नयापुरा मैकाना तह0 व जिला महोबा उ0प्र0 शपथ पूर्वक निम्न बयान करता हूँ--

1. यह कि मैं शपथकर्ता वैष्णौं इण्टरप्राइजेज बीजानगर रोड़ सुभाष नगर महोबा का मालिक हूँ।
2. यह कि क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड द्वारा दिनांक 19.06.2024 के पत्रांक संख्या एच12872/सी2/एन.जी.टी.70/24 के सम्बंध में विवरण।
3. यह कि मेरे द्वारा उद्योग परिसर मूंगफली प्लांट में डस्ट नियंत्रण हेतु और अधिक [illegible] कर लिये गये है।
4. यह कि उद्योग द्वारा अनुमन्य भू प्रयोग प्रमाण पत्र 1 माह अन्दर प्राप्त होने पर [illegible] कर दिया जायेगा।
5. यह कि भूगर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर दिया गया है।
6. यह कि आपके द्वारा प्राप्त सभी निर्देशों का पालन किया जा रहा है एवं भविष्य में प्राप्त [illegible] पालन निष्ठा पूर्वक किया जायेगा।
7. यह कि उद्योग का संचालन वर्तमान में स्थगित है। एवं अग्रिम आदेश तक स्थगित रहेगा।
8. यह कि शपथ पत्र की धारा 1 लगायत 7 मेरी जानकारी में सत्य व सही है।

दिनांक -- 05/07/2024

साक्षी--महोबा

रामबाबू गुप्ता

…43300810 …6-02

Subject to MAHOBA Jurisdiction

Mob. 9415417208
Utpadak Licence Number-406

मै0 वैष्णो इण्टर प्राइजेज

दुकान नं0 B16, नवीन मण्डी स्थल, महोबा

मील गोदाम-बीजानगर रोड, सुभाषनगर, महोबा

दिनांक : 5/7/2024

सेवा में

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय

जिला महोबा उ0प्र0

विषय: दिनांक 19.06.2024 के पत्रांक संख्या एच12672 / सी2 / एन.जी.टी.70 / 24 के सम्बंध में प्रार्थना पत्र

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि मै रामबाबू गुप्ता वैष्णौं इण्टरप्राइजेज बीजानगर रोड़ सुभाष नगर महोबा का मालिक हूँ। क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण बोर्ड द्वारा दिनांक 19.06.2024 के पत्रांक संख्या एच12672 / सी2 / एन.जी.टी.70 / 24 के सम्बन्ध में नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें उद्योग परिसर में कुछ कार्य कराने हेतु निर्देश प्राप्त हुये हैं जिनका अनुपालन मेरे द्वारा किया जा रहा है एवं भविष्य में प्राप्त निर्देशों का पालन निष्ठा पूर्वक किया जायेगा।

संलग्नक:

1. शपथ पत्र

प्रतिलिपि: सूचनार्थ प्रेषित

1. श्रीमान अपर जिलाधिकारी (राजस्व) महोदय, महोबा

(01) 05/7/24

प्रार्थी

रामबाबू गुप्ता

रामबाबू गुप्ता

पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता

पताः नयापुरा नैकाना, महोबा उ0प्र0

M/s Vaishno Interprises

रामबाबू गुप्ता

Proprietor

Annexure-5

माननीय एन0जी0टी0 में दाखिल ओ0ए0 नं0– 304/2024, ओम पाल सिंह बनाम राम बाबू गुप्ता में पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 के परिप्रेक्ष्य में मैसर्स वैष्णों इण्टरप्राइजेज, गाटा नं0–1555, बीजा नगर रोड़, सुभाष नगर, महोबा (जियो कोआर्डिनेट 25.2901012, 79.8958363) को जारी कारण बताओं नोटिस के परिप्रेक्ष्य में आख्या।

माननीय एन0जी0टी0 में दाखिल ओ0ए0 नं0–304/2024, ओम पाल सिंह बनाम राम बाबू गुप्ता में पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 के अंश निम्नवत् है:–

———"1. This Original Application (hereinafter referred to as 'OA') under Section 14 and 15 of National Green Tribunal Act, 2010 (hereinafter referred to as 'NGT Act, 2010') has been registered by exercising suomotu jurisdiction based on a letter petition dated nil sent by Om Pal Singh son of Ram Pal Singh resident of Subhash Nagar, Mahoba District, Uttar Pradesh and signed by some other persons stating that Ram Babu Gupta and Munna Gupta, sons of Rameshwar Gupta, resident of Balkhandeshwar are running Daal Mill and Peanut Mill, causing pollution. On account of functioning of above mills, air is getting polluted causing health hazards to the residents and even people residing in nearby area facing difficulty in breathing and respiration. Pollution is continuing for last one year and despite complaint made to concerned authorities, no action has been taken.

2. In our view, the complaint can be looked into at the first instance by concerned authorities at the local level for which we constitute a Joint 2 Committee comprising State Pollution Control Board and District Magistrate, Mahoba.

3. District Magistrate, Mahoba shall be the nodal agency for coordination and compliance.

4. The said Committee shall visit the site, collect relevant factual information and, if it finds any violation of environmental laws or norms, would take appropriate remedial, preventive and punitive action against the erring persons in accordance with law and submit a factual report with Registrar General of Tribunal within three months by e-mail at judicial-ngt@gov.in preferably in the form of searchable PDF/OCR Support PDF and not in the form of Image PDF. If found necessary, the matter will be listed for consideration before the Bench."——

उक्त पारित आदेश के अनुक्रम में आख्या निम्नवत् है:–

1. उक्त पारित आदेश के अनुक्रम में सन्दर्भित उद्योग का निरीक्षण अपर जिलाधिकारी (वि0/रा0), महोबा के साथ इस कार्यालय द्वारा दिनांक 23.05.2024 को किया गया। तत्पश्चात कारण बताओं नोटिस निर्गत किये जाने हेतु आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी, जिसके अनुक्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0–एच12672/सी–2/एन0जी0टी0–70/24 दिनांक 19.06.2024 द्वारा उद्योग के विरूद्ध कारण बताओं नोटिस निर्गत किया गया।
2. उद्योग के विरूद्ध जारी कारण बताओं नोटिस के परिप्रेक्ष्य में पुनः दिनांक 11.07.2024 को उद्योग का निरीक्षण किया गया है। निरीक्षण के समय उद्योग प्रतिनिधि के रूप में श्री रामबाबू गुप्ता उपस्थित रहे।
3. निरीक्षण के समय पाया गया कि उद्योग में स्थापित 125 के0वी0ए0 के दो नग डी0जी0 सेट पर अभी तक बोर्ड मानकों के अनुरूप चिमनी स्थापित नहीं पायी गयी तथा उद्योग के दीवारो पर डस्ट विद्यमान पायी गयी है, जिससे परिलक्षित होता है कि उद्योग संचालन के समय उत्सर्जित डस्ट से आस–पास के जनसमुदाय को समस्या होना स्वाभाविक है।
4. उद्योग में कच्चे माल तथा उत्पाद का भण्डारण पाया गया, साथ ही मूंगफली प्लान्ट के समीप स्कीनिंग का कार्य किया जाता पाया गया तथा अन्य मुख्य प्लान्ट मशीनरी का संचालन बन्द पाया गया।
5. उद्योग द्वारा अभी तक अनुमन्य भू–प्रयोग प्रमाण पत्र एवं भू–गर्भ जल विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया है।
6. उद्योग परिसर के चारो ओर वृक्षारोपड़ नहीं पाया गया।

——2

7. उद्योग द्वारा पूर्व प्रेषित नोटरी शपथ पत्र सं0–GB900314 दिनांक 27.04.2023 के आधार पर इस कार्यालय के ऑनलाइन ओ0सी0एम0एम0एस0 पत्र संख्या–182676/UPPCB/Banda(UPPCBRO)/CTO/both/Mahoba/2023 दिनांक 29.04.2023 द्वारा सशर्त जल/वायु सहमति निर्गत की गयी थी, जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.03.2027 तक है। उद्योग द्वारा उपरोक्त प्रेषित नोटरी शपथ पत्र के बिन्दु संख्या–03, 11, 14 व 17 में क्रमशः उल्लिखित किया गया है कि ''इकाई स्थल के कामर्शियल/औद्योगिक प्रयोजन सम्बन्धी भू–प्रयोग प्रमाण पत्र तीन माह में व भू–जल खपत हेतु स्टेट ग्राउण्ड वाटर अथॉरिटी से अनापत्ति/अनुमति दो माह में एवं अग्निशमन विभाग/अन्य सम्बन्धि विभाग से अनुमति दो माह में प्रस्तुत कर दिया जायेगा तथा उक्त इकाई के समीप आबादी/स्कूल एवं प्रदूषण के सम्बन्ध में इकाई के विरूद्ध जनहित में शिकायत प्राप्त होने एवं सही पाये जाने की दशा में समस्त सम्बन्धित विभागों द्वारा इकाई के विरूद्ध की गयी कार्यवाही शपथकर्ता को मान्य होगी एवं इकाई को वर्तमान स्थल से अन्यत्र उपयुक्त स्थल पर नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर स्थानान्तरण की कार्यवाही की जायेगी।''
8. उद्योग को बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक 19.06.2024 के अनुपालन में उद्योग द्वारा नोटरी शपथ पत्र संख्या–GX018941 दिनांक–05.07.2024 इस कार्यालय में प्रेषित किया गया है, जिसके बिन्दु संख्या– 03, 04, 05 व 07 में क्रमशः उल्लिखित किया गया है कि ''उद्योग परिसर में स्थापित मूंगफली प्लान्ट में डस्ट नियन्त्रण हेबु और अधिक स्प्रिंकलर स्थापित कर लिये गये है, अनुमन्य भू–प्रयोग प्रमाण पत्र एक माह के अन्तर्गत प्राप्त होने पर आपके समक्ष्य प्रस्तुत कर दिया जायेगा, भू–गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर दिया गया है एवं उद्योग का संचालन वर्तमान में स्थगित है एवं अग्रिम आदेशों तक स्थगित रहेगा।''

उपरोक्तानुसार उद्योग द्वारा अभी तक इस कार्यालय में भू–प्रयोग प्रमाण पत्र एवं भू–गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण प्रेषित नहीं किया गया है। उद्योग द्वारा प्राप्त सहमति जल एवं वायु में अधिरोपित शर्तों का पूर्णतः अनुपालन नही किया जा रहा है।

अतः उपरोक्त बिन्दुओं के दृष्टिगत उद्योग मैसर्स वैष्णों इण्टरप्राइजेज, गाटा नं0–1555, बीजा नगर रोड़, सुभाष नगर, महोबा के विरूद्ध बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओं नोटिस दिनांक 19.06.2024 की पुष्टि करते हुये वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम 1981 (यथासंशोधित) की धारा–31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश निर्गत किये जाने हेतु संस्तुति सहित आख्या सादर प्रस्तुत है।

30/07/24

(राज करन वर्मा)	(सुशील कुमार)	30.7.24 (रामदास)
वैज्ञानिक सहायक	अवर अभियन्ता	वैज्ञानिक सहायक

क्षेत्रीय अधिकारी, महोदया

30/7

Annexure-6

07/11/24 Cco-2

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

संदर्भ सं. Ref. No ....H19501.... |सी-2/NGT-70/24 दिनांक Date ....7-11-2024....

सेवा में, पंजीकृत

मैसर्स वैष्णों इण्टरप्राइजेज,
गाटा नं0–1555, बीजा नगर रोड़, सुभाष नगर,
जनपद–महोबा।

यह कि उद्योग **मैसर्स वैष्णों इण्टरप्राइजेज, गाटा नं0–1555, बीजा नगर रोड़, सुभाष नगर, महोबा** जिसे आगे उद्योग कहा जायेगा, कच्चे माल के रूप में मूंगफली, मटर एवं चना का प्रयोग कर पीनट ग्रेन क्षमता–140 कुन्तल/दिन तथा दाल क्षमता–400 कुन्तल/दिन के उत्पादन कार्य हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर स्थापित/संचालित है तथा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–2(K) के अन्तर्गत औद्योगिक सयंत्र है।

यह कि मा0 एन0जी0टी0, नई दिल्ली में दाखिल ओ0ए0 नं0–304/2024, ओम पाल सिंह बनाम राम बाबू गुप्ता में पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 के अनुपालन में उद्योग को राज्य बोर्ड के पत्र दिनांक 19.06.2024 द्वारा वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। क्षेत्रीय अधिकारी, बॉदा के पत्र दिनांक 31.07.2024 की आख्यानुसार उक्त उद्योग का निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय, बॉदा द्वारा दिनांक 11.07.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग में स्थापित 125 के0वी0ए0 के दो नग डी0जी0 सेट पर अभी तक बोर्ड मानको के अनुरूप चिमनी स्थापित नहीं पायी गयी तथा उद्योग के दीवारो पर डस्ट विद्यमान पायी गयी है, जिससे परिलक्षित होता है कि उद्योग संचालन के समय उत्सर्जित डस्ट से आस–पास के जनसमुदाय को समस्या होना स्वाभाविक है। उद्योग में कच्चे माल तथा उत्पाद का भण्डारण पाया गया, साथ ही मूगंफली प्लान्ट के समीप स्क्रीनिंग का कार्य किया जाता पाया गया उद्योग द्वारा अभी तक अनुमन्य भू–प्रयोग प्रमाण पत्र एवं भू–गर्भ जल विभाग की अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रेषित नहीं किया गया है। उद्योग द्वारा अभी तक क्षेत्रीय कार्यालय में भू–प्रयोग प्रमाण पत्र एवं भू–गर्भ जल विभाग से अनापत्ति प्रमाण प्रेषित नहीं किया गया है। उद्योग द्वारा प्राप्त सहमति जल एवं वायु में अधिरोपित शर्तो का पूर्णतः अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

क्षेत्रीय अधिकारी, बॉदा की आख्या दिनांक 31.07.2024 द्वारा उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत दिनांक 19.06.2024 को जारी कारण बताओ नोटिस के निर्देशों की पुष्टि किये जाने की संस्तुति की गयी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोंपरान्त उद्योग के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 31–ए के अन्तर्गत निम्नानुसार बंदी आदेश जारी किया जाता है :–

1. यह कि मैसर्स वैष्णों इण्टरप्राइजेज, गाटा नं0–1555, बीजा नगर रोड़, सुभाष नगर, महोबा में संचालन/उत्पादन प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से बंद कर दें।
2. यह कि सक्षम आधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि आपकी औद्योगिक इकाई को मिलने वाली विद्युत आपूर्ति एवं जल आपूर्ति का विच्छेदन करने के साथ–साथ अन्य सुविधाओं को तात्कालिक प्रभाव से बंद कर दिया जाए।

सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त

Atulesh Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

प्रतिलिपि :–

1. जिलाधिकारी, महोबा को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि उद्योग को तत्काल बन्द कराये जाने हेतु संबंधित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, महोबा को इस आशय से प्रेषित कि उद्योग में संचालन/उत्पादन कार्य की बंदी सुनिश्चित रहने हेतु कृपया संबंधित अधीनस्थ को निर्देशित करने का कष्ट करें।
3. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कार्पोरेशन लि0, महोबा को संदर्भित उद्योग के विघुत विच्छेदन हेतु।
4. अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 जल निगम, (नगरीय) महोबा को जल आपूर्ति रोके जाने हेतु।
5. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बॉदा को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उद्योग को जारी बंदी आदेश की प्रति उद्योग को प्राप्त कराते हुए पावती तथा उद्योग को जारी बंदी आदेश का अनुपालन जिला प्रशासन से समन्वय स्थापित कर सुनिश्चित कराते हुए अनुपालन आख्या 03 दिन में प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

Atulesh Yadav
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2)

Annexure-7

Received 60

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये Rs. 100

रु. 100 ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

NOTARIAL NOTARIAL

NOTARY Govt. of U.P. (INDIA)

GS 820304

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

सेवा में,

श्रीमान क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
बाँदा।

शपथपत्र मिनजानिब राम बाबू गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर प्रसाद गुप्ता, निवासी–नयापुरा, नैकाना, तहसील व जिला–महोबा उ0प्र0 शपथ पूर्वक निम्न बयान करता हूँः–

1. यह कि मै शपथकर्ता वैष्णों इण्टरप्राइजेज, बीजा नगर रोड, सुभाष नगर, महोबा का मालिक हूँ।

2. यह कि मेरे द्वारा संचालित उद्योग (मूंगफली प्लांट एवं दाल मिल) का संचालन उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा निर्गत बन्दी आदेश पत्र संख्या–एच19501/सी–2/एन0जी0टी0–70/24 दिनांक 07.11.2024 के अनुपालन में बन्द कर लिया गया है।

3. यह कि उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के अग्रिम आदेशों तक उक्त उद्योग का संचालन बन्द रहेगा।

4. यह कि शपथपत्र की धारा–1 लगायत 3 मेरी जानकारी में सत्य व सही है।

दिनांक : 10/12/2024

रामबाबू गुप्ता
शपथकर्ता

मे0–वैष्णों इण्टरप्राइजेज
रामबाबू गुप्ता
प्रोपराइटर

NOTARY Govt. of U.P. (INDIA)

6186/148
SWORN BEFORE ME
BHISHAM SINGH
NOTARY
10-12-24

61

637 ... 1/11/2024

वैष्णव इन्टर प्राइजेज प्रो० रामबाबू गुप्ता

नि- सुभाषनगर (बीना-रार रोड)

महोबा

कुमार गुप्ता

27 NOV 2024
कोषागार,

GROUND WATER DEPARTMENT

(Namami Gange & Rural Water Supply Department)
Ministry of Jal Shakti
Government of Uttar Pradesh

Form 1(B)/फॉर्म 1(बी)

[See rule 6(2)/नियम 6(2) देखें]

APPLICATION FOR REGISTRATION OF WELL
कूप के रजिस्ट्रीकरण हेतु आवेदन पत्र

(Commercial/Industrial/Infrastructural/Bulk user having N.O.C. issued by Central Ground Water Authority or by Ground Water Department)
(वाणिज्यिक/औद्योगिक/अवसंरचनात्मक/सामूहिक उपयोक्ता जिनके पास एन.ओ.सी. केंद्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण या भूगर्भ जल विभाग द्वारा जारी किया गया)

[UIS 10(1) or 11(1) of the Uttar Pradesh Ground Water Management and Regulation Act, 2019.]
[उत्तर प्रदेश भूगर्भ जल प्रबंधन और विनियमन अधिनियम, 2019 का युआईएस 10 (1) या 11 (1)]

Applicant's Details
आवेदक का विवरण

Type of Applicant आवेदक का प्रकार	Individual	Application Number आवेदन संख्या	MHBA1124RIN0004
Application Date आवेदन तिथि		18/11/2024	
Name of the Applicant आवेदक का नाम	RAMBABU GUPTA		
Mobile No. मोबाइल नंबर	8769691588	Email ID. ईमेल आईडी	harshgpt1997@gmail.com
Date of Birth जन्मतिथि	01/08/1967	Gender लिंग	Male
Nationality राष्ट्रीयता	Indian	ID as Address Proof निवास प्रमाण हेतु आईडी	
Other ID Number	AGZPG5085G	Uploaded Other ID अपलोड किया गया	
House No./Flat No./Building No. मकान सं0/फ़्लैट सं0/भवन सं0	beeja nagar road subhas nagar	Locality/Village मुहल्ला/गाँव	
City/Town/Post Office नगर/कस्बा/पोस्ट ऑफिस	MAHOBA	State राज्य	Uttar Pradesh
District जनपद	MAHOBA	Pin Code पिन कोड	210427
Company Name कंपनी का नाम	VAISHNO ENTERPRISES	Company Address कंपनी का पता	BIJA NAGAR ROAD, SUBHASH NAGAR, MAHOBA, UP 210427

Details of Existing Well
विद्यमान कूप का विवरण

District जनपद	Mahoba	Block ब्लॉक	NAGARIYA KSHETRA,Mahoba
Plot No./Khasra No. प्लॉट संख्या/खसरा संख्या	1555	Municipality/Municipal Corporation नगर पालिक/नगर निगम	N/A
Ward No./Holding No. वॉर्ड संख्या/होल्डिंग संख्या	N/A	Uploaded Land Details अपलोड किया गया भूमि का विवरण	Download

...ded Google / Toposheet ...लाड किया गया कूप का गूगल / टोपोशीट मैप	Download		
Location Coordinates स्थान निर्देशांक	Lat 25.29049 Long 79.895312	Google Map गूगल मैप	Download

Particulars of The Existing Well
विद्यमान कूप का ब्यौरा

Date of Construction/Sinking of Well कूप की निर्माण तिथि	10/03/2000	Type of Well कूप का प्रकार	Tube Well/Boring
Discharge of Tube Well (cum./hr) ट्यूबवेल का निर्वहन (cum./hr)			
Housing Pipe If Any यदि कोई है		No	

Strainer Details
स्ट्रेनर का विवरण

Material of Strainer स्ट्रेनर की सामग्री	Iron	Number of Strainer(s) स्ट्रेनर की संख्या	1

S.No. क्रम संख्या	Strainer Installed at what Depth from Ground Level (in Meter) स्ट्रेनर, भू-स्तर से कितनी गहराई पर स्थापित है (मीटर में)	Strainer Installed upto what Depth from Ground Level (in Meter) स्ट्रेनर, भू-स्तर से कितनी गहराई तक स्थापित है (मीटर में)	Length (In meter) लंबाई (मीटर में)	Diameter (In millimeter) व्यास (मिलीमीटर में)
1	3.00	20.00	17.00	5.00

Approx. Depth of Well (In meter) कूप की अनुमानित गहराई (मीटर में)	20.00	Whether There has been Any Adverse Report Regarding Water Quality of the Well? क्या कूप के जल की गुणवत्ता के संबंध में कोई प्रतिकूल रिपोर्ट है?	No
Ground Water Level (In meter) भूजल स्तर (मीटर में)	7.00		

Details of Existing Pumping Device विद्यमान पंपिंग उपकरण का विवरण

Type of Pump to be Used प्रयोग किये जाने वाले पंप का प्रकार	Submersible	Pump Capacity (In m^3/hr) पंप क्षमता (m^3/hr)	30.00
Horse Power (H.P.) हॉर्स पावर (एच.पी.)	1.00	Length of Suction Pipe (In meter) सक्शन पाइप की लंबाई (मीटर में)	17.00
Operational Device परिचालन उपकरण	Electric Motor	Date of Energization विद्युतीकरण तिथि	05/05/2010

Details of Utilization of Well
कूप के उपयोग का विवरण

Purpose of the Existing Well विद्यमान कूप का उद्देश्य?	Industrial		
Annual Running Hours वार्षिक उपयोग (घंटे में)	84.00	Annual Days वार्षिक उपयोग (दिनों में)	7

Running Hours उपयोग (घंटे में)	12.00	Whether the Water Supplied in Well Area Through Pipe Water Supply or Not? क्या क्षेत्र में जल की आपूर्ति पाइप जलापूर्ति के माध्यम से होती है?	No
Please Submit Mode of Treatment of Waste Water/Effluent (For Industries) अपशिष्ट जल की उपचार प्रणाली भरें (उद्योग हेतु)		No	
Whether Rain Water Harvesting Structure has been Constructed within the Premises? क्या परिसर में वर्षा जल संचयन संरचना का निर्माण किया गया है?	No	Any Other Information Which You Would Like to Furnish कोई अन्य जानकारी जो आप प्रदान करना चाहते हैं	N/A
Maximum Allowable Annual Extraction of Ground Water:			2520.00
Does industry come under MSME? क्या उद्योग MSME के अंतर्गत आता है ?	Yes		
MSME Certificate No. एमएसएमई प्रमाणपत्र संख्या	UDYAM-UP-52-0000497	MSME Certificate Issuance Date एमएसएमई प्रमाणपत्र के निर्गमन की तिथि	01/03/2021
MSME Certificate Validity एमएसएमई प्रमाणपत्र की वैधता	02/03/2031	Uploaded MSME Certificate अपलोड किया गया एमएसएमई प्रमाणपत्र	Download
Type of MSME एमएसएमई का प्रकार	Micro		
NOC Issued By: अनापत्ति प्रमाण पत्र (द्वारा निर्गत)			
Central Ground Water Authority केन्द्रीय भूगर्भ जल प्राधिकरण			No
Ground Water Department Uttar Pradesh भूगर्भ जल विभाग उत्तर प्रदेश सरकार			No

A

Declaration by the Applicant
आवेदक द्वारा उद्घोषणा

I do hereby declare that the particulars fuenished herein above are correct and true . I understand that in case any of the information and particulars is found to be incorrect at any stage of scrutiny and investigation or thereafter, my application/registration is liable to be rejected/cancelled ..

मैं एतद्द्वारा घोषित करता हूँ कि ऊपर दिये गए विवरण सही व सत्य हैं | मैं जानता हूँ कि यदि जांच पड़ताल के दौरान किसी भी स्तर पर उपरोक्त विवरण असत्य पाये गए तो मेरा आवेदन/रजिस्ट्रीकरण अस्वीकृत/निरस्त किए जाने योग्य होगा"

I Agree/मैं सहमत हूं

Note/नोट

- Separate application forms should be used for registration of each individual well.
- The application form should be completed in all respect before submission. Incomplete applications are liable for rejection. Any correction I alteration shall be duly authenticated.
- In case any of the particulars/information is found to be incorrect at any stage of verification I scrutiny, the application is liable for rejection.
- In case any of the particulars/ information furnished is found to be incorrect at any stage even after issue of the registration, the registration is liable for cancellation.
- Please write 'N.A.' against those items which are not applicable.
- Please attach the following documents along with the application:
- (a) Document showing proof of ownership of land;
- (b) Photocopy of Aadhaar card / voter ID I ration card I any other proof of identification.
- (c) Map showing location of the existing well, the command are a and the existing wells which have been refer red to in item no.2(a), (b)and(c).
- (d) Affidavit referred to in item no. 7(e)
- The concerned Authority reserves the right to ask for any other document(s) from the owner applicant for examination of the merit of the case.

Annexure-8

दूरभाष–05192 297470
ई–मेलः– robanda@uppcb.in

क्षेत्रीय कार्यालय : उ0 प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,

34ए, निकट संत तुलसी पब्लिक स्कूल, न्यू बिल्डिंग, इन्दिरा नगर गेट नं0 2
बाँदा उ0प्र0-210001

संदर्भ संख्या : 1301/NGT/O.A.No. 304/2024 दिनांक : 12/12/2024

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–2),
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषयः **माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल ओ0ए0 संख्या–304/2024 ओम पाल सिंह बनाम राम बाबू गुप्ता में पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 एवं 04.09.2024 के अन्तर्गत मैसर्स वैष्णों इण्टरप्राइजेज, गाटा नं0–1555, बीजा नगर रोड, सुभाष नगर, महोबा को निर्गत बन्दी आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एच19501/सी–2/एन0जी0टी0–70/24 दिनांक 07.11.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके अन्तर्गत माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल ओ0ए0 संख्या–304/2024 ओम पाल सिंह बनाम राम बाबू गुप्ता में पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 एवं 04.09.2024 के अन्तर्गत मैसर्स वैष्णों इण्टरप्राइजेज, गाटा नं0–1555, बीजा नगर रोड, सुभाष नगर, महोबा को वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियन्त्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा–31ए के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुपालन में उद्योग द्वारा इस कार्यालय में शपथपत्र संख्या– GS 820304 दिनांक 10.12.2024 को प्रेषित किया गया है, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि उद्योग का संचालन बन्द कर लिया गया है तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अग्रिम आदेशों तक बन्द रखा जायेगा।

अतः उक्त उद्योग द्वारा प्रेषित शपथपत्र के अनुक्रम में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 11.12.2024 को निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के समय उद्योग बन्द पाया गया। निरीक्षण आख्या संलग्न कर सूचनार्थ सादर प्रेषित है।

संलग्नक उपरोक्तानुसार।

भवदीया

(डॉ0 माधवी कमलवंशी)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी महोदय, जनपद–महोबा को सूचनार्थ सादर प्रेषित।

12/12/24
क्षेत्रीय अधिकारी

o/c

माननीय एन0जी0टी0 में दाखिल ओ0ए0 नं0—304/2024, ओम पाल सिंह बनाम राम बाबू गुप्ता में पारित आदेश दिनांक 19.03.2024 के अनुपालन में मैसर्स वैष्णों इण्टरप्राइजेज, गाटा नं0—1555, बीजा नगर रोड़, सुभाष नगर, महोबा द्वारा दिये गये शपथपत्र दिनांक 10.12.2024 के परिप्रेक्ष्य में निरीक्षण आख्या।

उक्त संदर्भित उद्योग मैसर्स वैष्णों इण्टरप्राइजेज, गाटा नं0—1555, बीजा नगर रोड़, सुभाष नगर, महोबा का निरीक्षण दिनांक 11.12.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग का संचालन बंद पाया गया। उद्योग की अद्यतन स्थिति एवं अन्य विवरण निम्नवत् है :—

1. उक्त उद्योग एक पीनट, ग्रेन एवं दाल उत्पादक इकाई है, जिसकी पीनट, ग्रेन की क्षमता—140 कुन्तल/दिन तथा दाल की क्षमता—400 कुन्तल/दिन की है। उद्योग में कच्चे माल के रूप में मूंगफली, मटर एवं चना का प्रयोग किया जाता है।

2. उक्त उद्योग को बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्र संख्या—एच19501/सी—2/ एन0जी0टी0—70/24 दिनांक 07.11.2024 द्वारा बन्दी आदेश निर्गत किया गया है।

3. उद्योग द्वारा बन्दी आदेश दिनांक 07.11.2024 के अनुपालन में इस कार्यालय में शपथपत्र संख्या—GS 820304 दिनांक 10.12.2024 को कार्यालय में प्रेषित किया गया है, जिसमें अवगत कराया गया है कि उद्योग का संचालन बन्द कर दिया गया है तथा उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड व माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के अग्रिम आदेशों तक बन्द रखा जायेगा।

4. उद्योग द्वारा दिये गये शपथपत्र दिनांक 10.12.2024 के परिप्रेक्ष्य में इस कार्यालय द्वारा दिनांक 11.12.2024 को उद्योग का निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के समय पाया गया कि उद्योग का संचालन नहीं किया जा रहा है तथा उद्योग बन्द अवस्था में है।

12/12/24 12.12.24

(राज करन वर्मा)
वैज्ञानिक सहायक

(सुशील कुमार)
अवर अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी महोदया,

12/12/24